93

आयोजनेत्तर

सख्याः1231 / XI/2011-56(32)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड पौडी।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 18 अगस्त, 2011

विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय त्रैमास के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 209 / XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च,2011 एवं शासनादेश संख्याः 210 / XXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च,2011के क्रम में निर्गत शासनादेश सख्या1045 / XI/2011-56 (32)/2011 दिनॉक 20मई,2011 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र संख्या 1451 / 4–बजट / अयोजनेत्तर / 2011–12 दिनांक 28.7.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक आयोजनेत्तर पक्ष की मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक **"क"** के अनुसार रू0 503.75 हजार (रूपये पांच लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि की फॉट आयुक्त, ग्राम्य विकास पौडी द्वारा अविलम्ब कर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नियमानुसार व्यय हेतु रखा जाना सुनिश्चित करेगें।
2. धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि से अधिक आहरण के लिए संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होगें।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्वतन पर रखी गयी धनराशि तत्काल आहरण वितरण अधिकारियों को अवमुक्त की जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक माह विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
4. किसी भी लेखाशीर्षक /मद में बजट प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृति की जा रही धनराशि की सीमा में ही व्यय किया जाय। बजट प्राविधान से अधिक किसी सभी दशा में व्यय न किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा मे कोई व्ययभार/दायित्व सृजित न किया जाय।
5. बिना वित्त विभाग की सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनर्विनियोग पूर्ण प्रतिबन्ध है।
6. प्रश्नगत मानक मदों के अन्तर्गन्त धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम, उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स,2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख भी किया जाय।
8. विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जाय और प्रत्येक माह की स्वीकृति/ व्यय संबंधी सूचना अद्यतन करते हुए तत्संबंधी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनोदशों की प्रतियों सहित वित्त एवं नियोजन विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
9. वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय। बी0एम0 13 पर नियमित रूप से सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध करायी जाय।
10. निर्वतन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग दिनॉक 31.3.2012 तक करते हुए अप्रयुक्त अवशेष धनराशि समयान्तर्गत समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।
11. मितव्यय के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के आयोजनेत्तर पक्ष की अनुदान संख्या–19 के अधीन संलग्नक ''क'' में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII(1)/ 2011 दिनॉक 31 मार्च,2011 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(ओम प्रकाश)
सचिव

संख्याः 1231 (1)/XI/2011 56(32) 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) कार्यालय महालेखाकार, वैभव पैलेस, सी–1,/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
2– महालेखाकार, (ए एण्ड ई), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर, रोड़, माजरा, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/ कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– निदेशक, कोषागार एवं वित्त लेखा, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
9– निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास को मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल

संलग्नक– यथोपरि।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव

शासनादेशसंख्या1231 / 11–2011–56(32) / 2011दि0 अगस्त2011कासंलग्नक

लेखाशीर्षक अनुदान संख्या–19	(धनराशि हजार रू0 में) वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु धनराशि की स्वीकृति	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
001 निदेशन तथा प्रशासन		
03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय /क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान		
04 यात्रा व्यय		**75**
05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय		**12.5**
07 मानदेय		**6.25**
08 कार्यालय व्यय		**87.5**
11 लेखन सामग्री और फर्मों की छपाई		50
12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		7.5
13 टेलीफोन पर व्यय		31.25
14 कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों / मोटर गाड़ियों का कय		
15 गाडियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद		100
16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		12.5
18 प्रकाशन		5
22 आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि		2.5
26 मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र		7.5
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति		50
29 अनुरक्षण		6.25
42 अन्य व्यय		2.5
44 प्रशिक्षण व्यय		2.5
45 अवकाश यात्रा व्यय		18.75
46 कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का कय		7.5
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का कय		18.75
48 मंहगाई वेतन		0
योग		**503.75**
(रूपया पांच लाख तीन हजार सात सौ पचास मात्र)		

(रविनाथ रामन)
अपर सचिव